



Neutral Citation No.-2026:AHC:10509

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-36416 वर्ष 2024

गौरव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अंकुर सिंह कुशवाहा, दीवान सैफुल्ला खान

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री दीवान सैफुल्ला खान, सुश्री इफरा इस्लाम राज्य विधि अधिकारी को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के अपराध संख्या-149 में धारा 302 भ०द०वि०, थाना-दौराला, जिला: मेरठ के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगभग छह दिनों की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि प्राथमिकी दर्ज होने से पहले, सूचनाकर्ता और मृतक के पिता ने 22.5.2024 को थाना-में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और उसने आवेदक के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था। उक्त गुमशुदगी की रिपोर्ट 22.5.2024 को रात लगभग 8.26 बजे रोज़नामचा 51 के रूप में दर्ज की गई है, इस प्रकार, यह झूठे निहितार्थ का एक स्पष्ट मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया है कि मोबाइल संख्या की झूठी बरामदगी 9690909760 आवेदक और सह-आरोपी पर थोपी गई है, इस तरह, आवेदक जमानत का हकदार है। प्राथमिकी में ही यह उल्लेख किया गया है कि सूचनाकर्ता को पता था कि आवेदक के पास मृतक का मोबाइल था, लेकिन सूचनाकर्ता के पिता ने गुमशुदगी रिपोर्ट में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 30.5.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

8. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के लिए कहा था। दिनांक 14.11.2025 की स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि तीन गवाहों से पूछताछ की गई है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी में देरी को ध्यान में रखते हुए, तथ्य यह है कि आवेदक का नाम लापता रिपोर्ट में नहीं है और मुकदमा घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदक- गौरव, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

16 जनवरी, 2026\

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)